मध्यप्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा
मॉडल प्रश्नपत्र- सामान्य अध्ययन- प्रथम प्रश्नपत्र

प्रश्न-1. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

1. विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण
2. भारतीय खाद्य निगम (FCI)
3. अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)
4. गैर सरकारी संगठन (NGO)
5. परमाणु मुक्त क्षेत्र
6. दोहरी कार्यपालिका
7. बाघ परियोजना
8. प्रो टेम स्पीकर
9. महादेव गोविंद रानाडे
10. इन्ट्रानेट
11. टीपीएस-4
12. सुनामी
13. पीली क्रांति
14. डॉलर कूटनीति
15. राष्ट्रीयकरण
16. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
17. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन
18. वित्त आयोग
19. वोट बैंक
20. गणतंत्र

उत्तर-1-1. विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण-देश के सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identity Number- UID Number) उपलब्ध कराने हेतु योजना आयोग के तहत हाल ही में विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण देश की एक अरब से अधिक जनसंख्या का डाटा बेस तैयार करेगा और प्रत्येक नागरिक के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा। इस संख्या के आधार पर उस नागरिक की पूरी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध होगा। इससे आंतरिक सुरक्षा को पुख्ता बनाने में मदद मिलेगी। प्राधिकरण राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार और जनगणना महापंजीयक के साथ मिलकर काम करेगा। इंफोसिस टेक्नोलॉजिस के सहसंस्थापक नंदन नीलकेणी को इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है।

2. भारतीय खाद्य निगम (FCI)-देश में खाद्यान्नों के न्यायपूर्ण वितरण एवं उनके मूल्यों में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना 1965 में की गई थी। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए FCI सरकार के लिए खाद्यान्नों की खरीद करता है तथा खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बनाता है । निगम इस प्रकार से स्टॉक किए गए खाद्यान्न को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों पर विक्रय के लिए उपलब्ध कराता है।

3. अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)-किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone- EEZ) से तात्पर्य उसकी समुद्री सीमा से समुद्री तट का वह क्षेत्रफल है, जिसके सभी संसाधनों पर उस देश का एकाधिकार होता है तथा इस क्षेत्र के भीतर वह देश उन संसाधनों का दोहन करने के लिए स्वतंत्र होता है। भारत के समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील दूरी तक विस्तृत 20.2 लाख वर्ग किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है।

4. गैर सरकारी संगठन (NGO)- गैर सरकारी संगठन (Non Governmental Organization) वह संगठन होते हैं जो निजी तौर पर स्वेच्छा से गठित किए जाते हैं। इनका कार्य ऐसे समुदायों का कल्याण एवं प्रगति

करना होता है जो सामान्यत: अपनी समस्याओं से अनजान होते हैं। NGO इस प्रकार की समस्याओं को अपने स्तर पर हल करने का प्रयास करते हैं। सरकार के बनाए नियम-कानूनों का पालन करते हुए अपना कार्य करते हैं। इन्हें सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, विभिन्न न्यासों और पूँजीपतियों से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।

5. परमाणु मुक्त क्षेत्र- परमाणु मुक्त क्षेत्र (Nuclear Free Zone)- विश्व के वह क्षेत्र होते हैं जहाँ अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा परमाणु हथियारों का प्रयोग वर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था न्यूक्लीयर हथियार धारक देशों द्वारा परस्पर संधियों एवं समझौतों द्वारा लागू की जाती है। यह क्षेत्र प्राय: अनुसंधान के साथ-साथ जीव जन्तुओं एवं पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उदाहरण के लिए बाह्य अंतरिक्ष, समुद्र तल, अंटार्कटिका के क्षेत्र परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किए गए हैं।

6. दोहरी कार्यपालिका- संसदीय लोकतंत्र में दो प्रकार की कार्यपालिका होती हैं। एक वास्तविक कार्यपालिका अर्थात जो शासन चलाने के लिए यथार्थ में निर्णय लेती है और दूसरी नाममात्र की कार्यपालिका जो केवल संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करती है तथा वास्तविक कार्यपालिका के निर्णयों को संवैधानिक विधिमान्यता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए भारत में नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति तथा वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को कहा जाता है।

7. बाघ परियोजना (Tiger Project)- देश में बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य 'भारत में बाघों की विशाल संख्या का रखरखाव, वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय मूल्यों और जैविक महत्व के क्षेत्रों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सुरक्षित रखना है, ताकि इससे जनता को लाभ, शिक्षा और मनोरंजन प्राप्त हो सके।' देश में कुल 28 बाघ रिजर्व हैं तथा आठ नए बाघ रिजर्वों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन सरकार द्वारा प्रदान कर दिया गया है। बाघ परियोजना के अंतर्गत 37761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है।

8. प्रो टेम स्पीकर (Pro Tem Speaker)-भारत की संसदीय व्यवस्था में लोक सभा के नए निर्वाचन के पश्चात सदन की पहली बैठक के संचालन, नए सदस्यों को शपथ दिलवाने तथा नए स्थायी लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करवाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से एक अल्पस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रो टेम स्पीकर को शपथ भी दिलाई जाती है। नए स्थायी स्पीकर का निर्वाचन होने एवं पद भार ग्रहण करने के बाद प्रो टेम स्पीकर अपने पद से स्वयं हट जाता है। परम्परानुसार प्राय: लंबे समय तक सदन का सदस्य रहे व्यक्ति को प्रो टेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। पंद्रहवीं लोकसभा में मानिक राव गावित प्रो टेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे।

9. महादेव गोविंद रानाडे- महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक थे, जिन्हें मराठा राज्य का सुकरात कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1867 ई. में प्रार्थना समाज की स्थापना की। उन्होंने विधवाओं की स्थिति में सुधार तथा उनके संरक्षण आदि के प्रयत्न किए तथा बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु 'दक्कन शिक्षा समाज' की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की शुरुआत उन्होंने ही की थी। उन्होंने सार्वजनिक सभा नामक समाचार पत्र भी निकाला।

10. इन्ट्रानेट-यह किसी औद्योगिक संगठन, प्रतिष्ठान या अन्य किसी भी विशिष्ट संगठन का अपना नेटवर्क होता है, जो केवल विशिष्ट उपभोक्ताओं के लिए ही खुला होता है। इसकी मुख्य विशेषता इसकी गोपनीय है। यह निजी प्रतिष्ठानों के उपयोग के लिए इंटरनेट का ही एक लघु रूप है।

11. टीपीएस-4- टीपीएस-4 महाराष्ट्र के तारापुर के परमाणु ऊर्जा केंद्र में स्थित भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय विद्युत रिएक्टर है। यह एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर नाभिकीय रिएक्टर है। इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग होता है तथा भारी जल का उपयोग नियंत्रण और शीतलन के लिए किया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 540 मेगावॉट बिजली की है।

12. सुनामी- यह एक बृहत समुद्री तरंग है, जो प्राय: जापान के तटों तथा प्रशांत महासागर के अन्य देशों के तटों पर आती है। यह विशेषत: प्रशांत महासागर की तली में भूकंप आ जाने के कारण अथवा ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होती है और इस तरंग की चाल 970 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकती है। जैसे-जैसे यह तट रेखा पर पहुँचती है, इसकी ऊँचाई बढ़ती जाती है। यहाँ जल की यह भित्ति 15 मीटर से अधिक

ऊँची होती है। इससे तटवर्ती क्षेत्रों में भारी विनाश होता है। भारत भी वर्ष 2004 में सुनामी का दंश झेल चुका है।

13. पीली क्रांति-हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन के मामले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। कृषि क्षेत्र में इसी अनुसंधान और विकास की अगली कड़ी पीली क्रांति है। पीली क्रांति के तहत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन प्रसंस्करण और प्रबंध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया। पीली क्रांति के परिणामस्वरूप ही हमारा देश खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सका है।

14. डॉलर कूटनीति-डॉलर सं. रा. अमेरिका की मुद्रा है। अत: डॉलर कूटनीति (Dollar Diplomacy) अमेरिका की विदेश नीति से संबंधित है। यह अमेरिकी विदेश नीति का वह पक्ष है जिसके अंतर्गत यह अपने आर्थिक हितों, आर्थिक शक्ति और आर्थिक प्रभुत्व को स्थापित करने एवं उसे बनाए रखने का प्रयास करता है। अमेरिका अपने उद्यमियों के आर्थिक हितों के लिए अन्य राष्ट्रों को आर्थिक सहायता आदि का प्रलोभन देकर उन्हें अपने राजनीतिक नेतृत्व में लेने का प्रयास करता है।

15. राष्ट्रीयकरण- जब किसी देश की सरकार राष्ट्र हित में निजी क्षेत्र की किसी कम्पनी को कानून बनाकर अधिग्रहित कर लेती है तो इसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। सामान्य तौर पर राष्ट्रीयकरण उसी दशा में किया जाता है जब किसी निजी कंपनी की एकाधिकारी शक्तियों पर सरकार अंकुश लगाना चाहती है या जनहित में ऐसा आवश्यक समझा जाता है कि उद्योग विशेष की इस कम्पनी की राष्ट्रहित में कितनी उपयोगिता है। राष्ट्रीयकरण सदैव निजी कंपनियों का ही किया जाता है।

16. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी प्रकार के प्रदूषण के आकलन, निगरानी और नियंत्रण करने के लिए सितंबर 1974 में स्थापित किया गया। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका कार्य केंद्र सरकार को जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण आदि को कम अथवा रोकने के लिए सलाह देना भी है। यह पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की निगरानी एवं उनसे समन्वय करता है। यह बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

17. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका कार्य राष्ट्रीय आय और संबंधित आँकड़े विशेषकर अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों के बारे में अनुमान लगाने और योजना बनाने तथा नीति तैयार करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करना है। वर्ष 1970 में सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं को एक जगह लाकर सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत NSSO का पुनर्गठन किया गया। इसका दिशा-निर्देशन एक प्रबंध परिषद करती है, जिसे आँकड़े इकट्ठे करने, उनका विश्लेषण करने और प्रकाशन में स्वतंत्रता और स्वायत्ता प्राप्त है।

18. वित्त आयोग- वित्त आयोग की नियुक्ति संविधान की धारा 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग मुख्यतया दो बातों में सरकार को अपनी सिफारिशें देता है-

1. उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना जिनके आधार पर केंद्र और राज्यों के विभाज्य करों का विभाजन हो। इस तरह वित्त आयोग सिफारिश करता है कि विभाज्य करों से प्राप्ति में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों का भाग कितना-कितना होगा ।
2. उन सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करना जिनके आधार पर केंद्रीय सरकार राज्यों को अनुदान देगी। वित्त आयोग अनुदान की राशि के बारे में अपनी सिफारिशें देता है। राष्ट्रपति स्वस्थ वित्तीय व्यवस्था के लिए वित्त आयोग को किसी भी संबंधित मसले पर सिफारिश देने के लिए कह सकता है।

19. वोट बैंक-किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुछ विशिष्ट समुदाय के मतदाता किसी विशेष राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार को ही प्राय: वोट देते हैं। यह विशिष्ट मतदाता उस राजनीतिक दल अथवा नेता के वोट बैंक कहे जाते हैं। अत: वोट बैंक (Vote Bank) का अभिप्राय 'सुरक्षित वोट' से है। इस वोट बैंक का आधार धर्म,जाति भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र अथवा कोई विशेष विचारधारा अथवा नीति आदि होता है।

20. गणतंत्र-जब किसी राज्य का प्रमुख आनुवंशिक राजा न होकर साधारण व्यक्ति होता है तथा वह विधि के अनुसार राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होता है और जनता के विश्वास के समर्थन के आधार पर शासन चलाता

है, तो वह गणतंत्र (Republic) राज्य कहलाता है।

प्रश्न-2. राज्यसभा का संगठन, अधिकार एवं प्रमुख कार्य स्पष्ट करें?

उत्तर-2. राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, यह राज्यों-जो भारत संघ की इकाइयाँ हैं का प्रतिनिधित्व करती है। अमेरिका की सीनेट की तरह ही यह एक स्थायी सदन है। यह न तो कभी भंग होती है और न कभी नए सिरे से इसकी रचना होती है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिनमें 238 निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाजसेवा का विशेष या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। 238 निर्वाचित सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों की विधानसभाओं के लिए आवंटित स्थान को संविधान की चौथी अनुसूची में अन्तर्विष्ट किया गया है। इस अनुसूची में केवल 233 स्थानों के संबंध में उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में राज्यसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 245 (राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों सहित) है। राज्यों के प्रतिनिधि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति (Single Transferable Vote System) द्वारा निर्वाचित होते हैं और केंद्र द्वारा शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि संसद द्वारा बनाए गए तत्सम्बन्धी कानून के अनुसार चुने जाते हैं।

हमारे संविधान में इकाइयों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पश्चात् पदमुक्त हो जाते हैं तथा पदमुक्त होने वाले सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद चुनाव होता है।

संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं, परंतु उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से करते हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति का आसन ग्रहण करता है।

राज्यसभा के एक वर्ष में दो अधिवेशन होते हैं, लेकिन इसके अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा आगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सामान्यतया राज्यसभा को अधिवेशन तभी बुलाया जाता है जब लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के अधीन आपातकाल की घोषणा के बाद तब राज्यसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जब लोकसभा का विघटन हो गया हो। उदाहरणार्थ 1977 में लोकसभा के विघटन के कारण तमिलनाडु तथा नगालैंड में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए राज्यसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। राज्यसभा की गणपूर्ति अपनी सदस्य संख्या की 1/10 है।

राज्यसभा के अधिकार और कार्य- राज्यसभा के अधिकारों तथा कार्यों को स्थूल रूप से चार शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है, यथा-

- कार्यपालिका संबंधी अधिकार (Executive Powers)।
- विधायन संबंधी अधिकार (Legislative Powers)।
- वित्त संबंधी अधिकार (Financial Powers)
- विविध अधिकार (Miscellaneous Powers)।
- **कार्यपालिका संबंधी अधिकार और कार्य**- मंत्रिमंडल राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी न होकर लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। फलत: राज्यसभा अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद को अपदस्थ नहीं कर सकती। इस प्रकार, राज्यसभा की प्रशासकीय शक्तियाँ नगण्य हैं। फिर भी राज्यसभा प्रश्नों, काम रोको प्रस्तावों, वाद-विवादों इत्यादि द्वारा लोकसभा की भाँति ही मंत्रिमंडल पर कुछ अंश में नियंत्रण रख सकती है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा के सदस्यों में से भी हो सकती है।
- **विधायन संबंधी अधिकार और कार्य**- विधायन संबंधी क्षेत्र में भी राज्यसभा की स्थिति निर्बल है। धन विधेयक (Money Bill) को छोड़कर अन्य कोई भी विधेयक राज्यसभा में भी पुन: स्थापित हो सकता

है। संविधान का अनुच्छेद 107 यह निरूक्त करता है कि विधेयक तभी विधि बन सकता है, जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए। संविधान का अनुच्छेद 108 यह निरुक्त करता है कि यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में मतान्तर हो या किसी एक सदन द्वारा पारित विधेयक पर दूसरा सदन छः महीने तक कार्यवाही न करें, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और बैठक में बहुमत का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। इस प्रकार, औपचारिक दृष्टि से साधारण विधेयकों में दोनों सदन समान स्तर पर हैं, परंतु व्यवहार में इस विषय में भी राज्यसभा की स्थिति बहुत दुर्बल है, क्योंकि-

दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्शानुसार ही संयुक्त अधिवेशन आयोजित कर सकता है। अभी तक तीन बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है और तीनों में लोकसभा की ही जीत हुई है। इस प्रकार देखा जाए तो व्यावहारिक दृष्टि से राज्यसभा के लिए लोकसभा को परास्त करना संभव नहीं है। वह लोकसभा द्वारा किसी विधेयक को पारित करने में अधिक-से-अधिक छः महीने का विलंब मात्र कर सकती है, स्थायी बाधा नहीं डाल सकती है।

- **वित्त संबंधी अधिकार और कार्य**-वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा को न्यून अधिकार दिए गए हैं। प्रजातंत्र का यह आधारभूत सिद्धांत है कि वित्त तथा राज्य के धन पर जनता की प्रतिनिधि सभा का पूर्ण नियंत्रण हो। धन विधेयक राज्यसभा में प्रारंभ नहीं हो सकते और न राज्यसभा उन्हें स्वीकृत या संशोधित ही कर सकती है वह उन पर केवल सिफारिशें दे सकती है। संसद के इतिहास में पहली बार 28 जुलाई, 1977 ई. को राज्यसभा ने वित्त-विधेयक को सिफारिशों के साथ लौटा दिया, परंतु लोकसभा ने उन सिफारिशों को बहुमत से अस्वीकृत कर दिया। यदि 14 दिनों के अंदर राज्यसभा अपना विचार व्यक्त न करे तो धन-विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा, जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया था। राज्यसभा वित्त-विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह उन प्रस्तावों को माने या न माने।
- **विविध अधिकार**- राज्यसभा को अन्य कई अधिकार प्राप्त हैं- संविधान में संशोधन का अधिकार, राष्ट्रपति पर, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध चलाए गए महाभियोग में सम्मिलित होना। पदच्युत करने का अधिकार। राष्ट्रपति की संकटकालीन व्यवस्थाओं को अनुमोदित करने का अधिकार और राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुतम से पारित कर दिया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में संशोधन प्रस्ताव गिर जाएगा।

कुछ अन्य बातों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक तो कतिपय अंश में बराबर अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने में लोकसभा के समान ही राज्यसभा को अधिकार प्राप्त हैं। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसा न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए राष्ट्रपति से प्रार्थना करने का दोनों सदनों को समान अधिकार है। अनुच्छेद 249 के अनुसार, राज्यसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से राज्यसूची के किसी विषय को राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है।

ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में एक वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणाओं के अनुमोदन का दोनों सदनों को अधिकार है। यदि ऐसी उद्घोषणा के पश्चात

दो महीने के अंतर्गत ही लोकसभा का विघटन हो जाए तो उस उद्घोषणा को केवल राज्यसभा ही अनुमोदित कर सकती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा बहुत निर्बल है, परंतु यह बिलकुल शक्ति शून्य द्वितीय सदन भी नहीं है।

प्रश्न-3. स्वामी विवेकानंद भारतीय नवजागरण के अग्रदूत क्यों कहे जाते हैं ?

उत्तर-3. उन्नीसवीं सदी के मध्य तक भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता से आतंकित हो गई थी, शिक्षित भारतीय अपनी सभ्यता में विश्वास खोते जा रहे थे। विश्व के अन्य राष्ट्रों की तरह भारत में भी राष्ट्रीय भावना का अवतरण सामाजिक-धार्मिक जागृति के साथ ही हुआ, इसमें स्वामी विवेकानंद का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, वह सदियों से सुषुप्त भारतीय समाज को नवजीवन देना चाहते थे। भारतीय संस्कृति की महानता, धर्म के सार्वदेशिक स्वरूप को उन्होंने जितने स्पष्ट तथा तार्किक रूप से देखा, वैसा उसके पूर्व व पश्चात् कोई नहीं कर सका।

उन्होंने पूर्व व पश्चिम के दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन किया। शुरू में वे नास्तिकता की ओर झुके, किन्तु रामकृष्ण के सानिध्य से प्रभावित होकर सारा जीवन मानव सेवा में अर्पित करने का प्रण किया। उन्होंने भारत की दुरावस्था पर गहन चिन्तन किया तथा संसार के सामने भारत की आवाज बुलंद करने का निश्चय किया। यह अवसर उन्हें 1893 में मिला। 1893 में शिकागो की धर्म संसद में अपने ओजस्वी भाषणों तथा अभिव्यक्ति के अंतर्निहित गुणों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अमेरिकी समाचार-पत्रों ने उन्हें 'दैवी शक्ति प्रदत्त वक्ता' कहा। अगले तीन वर्षों तक वे विदेश भ्रमण करते रहे, फरवरी 1896 में अमेरिका में वेदांत समाज की स्थापना की। वे पहले भारतीय थे जिसने पाश्चात्य श्रेष्ठता को चुनौती दी तथा हिन्दू धर्म की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने भारत की निर्धनता, जाति प्रथा, कर्मकांड, अंधविश्वास के प्रति युद्ध छेड़ दिया। उनका विश्वास था कि 'भारत में अपूर्व शक्ति है केवल उसे जाग्रत करने की आवश्यकता है और वह जाग्रति धर्म द्वारा ही संभव है।' अपने सिद्धान्तों को यथार्थ रूप देने के लिए 1 मई, 1897 को 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की।

विवेकानंद के चिंतन तथा व्यवहार के मूल में वेदांत की शिक्षाएँ थीं। वे उदार हिन्दू धर्म तथा आध्यात्मवाद की सजीव आत्मा थे। हिन्दू आध्यात्मवाद का सहारा लेकर उन्होंने जिस प्रकार धर्म, समाज और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दिया वह अद्वितीय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत पश्चिम की तुलना में साहित्य, इतिहास, संस्कृति, धर्म के क्षेत्र में अधिक सहिष्णु तथा समृद्ध है। उन्होंने अध्यात्म व वेदांत के आदर्शों को फिर से जिन्दा किया तथा उसकी श्रेष्ठता की पुनर्स्थापना की, उसे इस्लाम व ईसाई धर्म के प्रभावों से भी बचाया। उनके उपदेशों से हिन्दुओं को अपने धर्म, सभ्यता तथा प्राचीन गौरव का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सभी धर्मों की एकता तथा सत्यता पर बल दिया। उनके अनुसार एक हिन्दू को ईसाई या बौद्ध बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक के लक्ष्य समान ही हैं।

वे हिन्दू धर्म को दुरूह पाखंडों, अंधविश्वासों तथा कर्मकांडों का केंद्र नहीं मानते थे। वह भारत की तितर-बितर हुई आध्यात्मिकता को एकत्रित कर राष्ट्रीयता की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमारी पवित्र परम्पराओं में जो एक समान आधार है वह है धर्म और इसी के आधार पर हमें भावी भारत का निर्माण करना है। विवेकानंद ने संसार में धर्म तथा अध्यात्मवाद के महत्व को उजागर किया।

उन्होंने धर्म को प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि 'किसी राष्ट्र की प्रगति का मापदंड भी उसकी धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति ही है।' परंतु वे भौतिक क्षेत्र में भी मानव की पूर्ण प्रगति चाहते थे। उन्होंने हिन्दू धर्म व विज्ञान में सामंजस्य बताया। उनके अनुसार भारतीय धर्म में शंकराचार्य का अद्वैतवाद विज्ञान का चरम सिद्धांत है। मूर्ति पूजा को उन्होंने नीचे की सीढ़ी बताया जिसके माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। उन्होंने माना कि धर्म को मानव की भौतिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत गरीब है तो सिर्फ भौतिक उपलब्धियों के क्षेत्र में, अत: पूर्व व पश्चिम के बीच आध्यात्मवाद तथा भौतिक प्रगति का आदान प्रदान होना चाहिए।

स्वामी विवेकानंद ने न केवल भारत की सांस्कृतिक महानता व अतीत का गौरव गान किया बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध विध्वंसकारी धर्मयुद्ध भी छेड़ा। उन्होंने कूपमंडूकता से घृणा की और पुरोहित के पाखंड कर्म की निंदा की, उनके अनुसार पुरोहितवाद ने भारत में सामाजिक अत्याचार को बढ़ावा दिया।

कठोर तथा संकुचित जातिवाद की भी उन्होंने भर्त्सना की लेकिन वर्ण व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने उच्च जातियों के उत्पीड़न से बचने तथा जातिभेद का अंत करने के लिए निम्न जातियों में शिक्षा के प्रसार पर बल दिया तथा व्यावसायिक सतर्कता व अन्तर्जातीय विवाह का भी समर्थन किया।

विवेकानंद वर्तमान शिक्षा प्रणाली को उपयुक्त नहीं समझते थे। उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य चरित्र-निर्माण तथा जीवन के विकास को माना। वे शिक्षा में धर्म की अनिवार्यता, संस्कृत पर जोर तथा निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया करते थे। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों से वे असंतुष्ट थे। पश्चिमी विचारों की नैतिक विशेषताओं को उसी रूप में नकल करना वे उचित नहीं मानते थे। उन्होंने शिक्षा को वेद-वेदांत से नियंत्रित कर भारतीयता को जीवित रखना चाहा।

मानवतावादी कल्याणकारी तथा राष्ट्र के उत्थान के लिए उन्होंने महिलाओं के सही विकास पर जोर दिया। वे भारतीय नारी को विश्वव्यापी मातृत्व की सजीव प्रतीक मानते थे। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार देना, उसे शिक्षित बनाना तथा बाल-विवाह पर रोक लगाने आदि पर जोर दिया । महिलाओं व अनाथों के संरक्षण के लिए रामकृष्ण मिशन ने महिला सुधार गृह व अनाथालय की स्थापना भी की। विवेकानंद अस्पृश्यवाद का अंत चाहते थे। भारत में प्रचलित छूआछूत की प्रथा का उन्होंने विरोध किया तथा साधु व ब्राह्मणों की अंधविश्वासी बातों का मजाक उडाया। विवेकानंद ने अपने कार्यों से भारतीय राजनीतिक राष्ट्रवाद को गहरा, ठोस व व्यापक राजनीतिक आधार प्रदान किया। उनमें राष्ट्रीयता की भावना कूट-कूटकर भरी थी। उन्होंने एक ऐसे धर्म का उपदेश दिया जिसमें आत्म सहायता एवं पौरुष शक्ति पर बल दिया गया था।

स्वामी विवेकानंद स्वतंत्रता के महान समर्थक थे, उन्होंने भारतीयों को निर्भीक होकर अपने खिलाफ हो रहे शोषण का प्रतिकार करने की सलाह दी। वे अंतरराष्ट्रीयतावाद में भी विश्वास करते थे तथा संसार के सभी लोगों में बंधुत्व की भावना जगाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि 'संसार के अन्य राष्ट्रों से हमारा पृथक्कीकरण ही हमारे ह्रास व अवनति का मुख्य कारण है और शेष विश्व की मुख्यधारा में सम्मिलित होना ही इसका एकमात्र उपचार है, गति ही जीवन का प्रतीक है।'

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने सदियों से चली आ रही भारतीय समाज की निष्क्रियता को झकझोरा। देश में नवजागरण का मंत्र फूँका तथा भारतीय राष्ट्रवाद के सिद्धांत की नींव रखी। दलितों के उत्थान का अथक प्रयास किया। वे सही अर्थों में आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे। उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने अपने व्यापक मानवतावादी गतिविधियों के द्वारा किसी अन्य सामाजिक धार्मिक संस्था की अपेक्षा अधिक मानव समुदाय की पीड़ा को कम किया है। उनके अभय संदेश से भारत की पद दलित, सामाजिक दृष्टि से बहिष्कृत तथा पौरुषहीन जनता को जीवनदान मिला तथा आत्मचेतना की प्राप्ति हुई इसीलिए विवेकानंद को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है।

प्रश्न-4. आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय विकास में योजना आयोग की भूमिका की समीक्षा कीजिए।

उत्तर-4. देश के संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को एक मूलभूत यंत्र के रूप में अपनाने का निर्णय वैसे तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही हमारे राजनेताओं द्वारा ब्रिटिश शासनकाल में ही कर लिया गया था, लेकिन इस प्रक्रिया को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 15 मार्च, 1950 को 'योजना आयोग' के गठन से औपचारिक स्वरूप प्रदान किया गया।

हालांकि योजना आयोग आर्थिक नियोजन और विकास की एक सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसका गठन एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल प्रस्ताव के माध्यम से किया गया। वैसे बारीकी से देखने पर विदित होता है कि गैर संवैधानिक संस्था होते हुए भी इसके गठन का आधार हमारा संविधान ही रहा है। उल्लेखनीय है कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती विधायी सूची की 20वीं प्रविष्टि में आर्थिक- सामाजिक योजना का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त भी संविधान के अनुच्छेद 38 तथा 39 में नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में इस संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। इन अनुच्छेदों के माध्यम से देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना, आय की असमानता को कम करना, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, महिलाओं, श्रमिकों तथा बच्चों को विशेष रूप से गरिमामय वातावरण प्रदान करने के लिए प्रयास करने हेतु सरकार को निर्देश दिए गए हैं।

इन निर्देशों तथा 7वीं अनुसूची में उल्लिखित आर्थिक-सामाजिक योजना बनाने संबंधी निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुपालन के तहत ही देश में सभी को अवसरों की समानता प्रदान करने और देश के संतुलित विकास हेतु संसाधनों के उपयुक्ततम उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और उनके क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। इससे स्पष्ट है कि संविधान की भावनाओं के अनुरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में सामाजिक न्याय के साथ तीव्र विकास के मूल उद्देश्य को निर्धारित करते हुए पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करने के दायित्व का निर्वहन करने हेतु योजना आयोग का गठन किया गया।

योजना आयोग के दायित्व-भारत सरकार (व्यवसाय आवंटन) नियमावली, 1961 के अधीन योजना आयोग को निम्नांकित दायित्व सौंपे गए हैं-

- देश के सामान, पूँजी और तकनीकी कौशल वाले व्यक्तियों सहित मानव संसाधन का आकलन करना तथा ऐसे संसाधनों को यदि राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार कमी हो तो उनकी वृद्धि की जाँच करना।
- संसाधनों के सबसे कारगर और संतुलित प्रयोग की एक योजना बनाना।
- प्राथमिकताओं का निर्धारण कर उन चरणों की व्याख्या करना जिनके अनुसार योजना को लागू किया जाए और हर चरण के कार्य के लिए संसाधनों के वितरण का प्रस्ताव करना।
- विकास में बाधक कारकों की पहचान कराना और वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में उन परिस्थितियों का निर्धारण करना जिनका समुचित उपयोग किया जा सकता है।
- योजना के प्रत्येक चरण को उसके सभी पक्षों के साथ सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक तंत्र की प्रक्रिया का निर्धारण करना।
- समय-समय पर योजना की चरणबद्ध प्रगति की समीक्षा कर आवश्यकता पड़ने पर उसमें समायोजन के सुझाव देना।
- ऐसा कोई भी अंतरिम या सहायक सुझाव अथवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जो इस संस्था को प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन में सहायक हो या केंद्र अथवा राज्य सरकारों की ओर से सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, नीतियों, उपायों और विशिष्ट समस्याओं के संबंध में माँगें गए हों।

योजना आयोग की संरचना-

एक गैर संवैधानिक परामर्शदायी विशेषज्ञ संस्था के रूप में गठित होने के फलस्वरूप आयोग के स्वरूप और संगठन में समय-समय पर सरकार द्वारा परिवर्तन किए जाते रहे हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष के रूप में सामान्यतया किसी नियोजन विशेषज्ञ या अर्थशास्त्री को मनोनीत किया जाता है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन प्रक्रिया को संचालित किए जाने के उद्देश्य से योजना आयोग को आवश्यक सहायता व सहयोग प्रदान करने हेतु विभिन्न संगठन क्रियाशील हैं जो योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

इनमें से राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषदें, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति, विभिन्न कार्यकारी दल आदि मुख्य हैं। इन संगठनों के द्वारा योजनाओं के निर्माण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में योजना आयोग को सहयोग प्रदान किया जाता है। उल्लेखनीय है कि योजना आयोग योजनाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, जबकि केंद्र एवं राज्य सरकारें प्रमुख रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होती हैं।

योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य ऐसी पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करना है जिनसे देश के साधन, पूँजी और मानव शक्ति का सबसे अच्छे और संतुलित तरीके से प्रयोग किया जाना संभव हो सके। आयोग को योजनागत उपायों की सामयिक समीक्षा करने और उनमें आवश्यकतानुसार समायोजन के सुझाव देने का उत्तरदायित्व भी निभाना होता है। पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करते समय आयोग विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के विकास कार्यक्रमों को राष्ट्रीय योजना के साथ समन्वित करता है।

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए विभिन्न विकास योजनाएँ तैयार की जाती हैं और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास भी सुझाए जाते है। इन सबको पूरी अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह की योजना के साथ समन्वित किया जाता है। इस प्रकार केंद्र की निवेश योजना में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आयोग व्यापक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर संसाधनों के संवितरण का वस्तुनिष्ठ तरीका अपनाता है

तथा वार्षिक योजनाओं के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि केंद्र और राज्यों की वार्षिक योजनाएँ उपलब्ध संसाधनों के अनुसार संचालित हों।

पंचवर्षीय योजनाओं की निर्माण प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली होती है। इस प्रक्रिया को निम्नांकित पाँच भागों में बाँटा जा सकता है-

- **प्रथम चरण**- पंचवर्षीय योजना निर्माण का प्रथम चरण योजना अवधि के प्रारंभ से लगभग 3 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाता है। इस चरण में योजना आयोग द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ सर्वेक्षण अध्ययन एवं परीक्षण संबंधी कार्य किए जाते हैं और विभिन्न मंत्रालयों और उनकी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसके आधार पर योजना का एक खाका तैयार किया जाता है जो मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद इसे राष्ट्रीय विकास परिषद को भेजा जाता है जो इसके आधार पर विकास दर तथा प्राथमिकताओं के संबंध में योजना आयोग को दिशा-निर्देश प्रदान करती है।
- **द्वितीय चरण**- दूसरे चरण में योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद से प्राप्त दिशा-निर्देशों के प्रकाश में योजना का संशोधन और उसे विस्तृत स्वरूप प्रदान करते हुए प्रारूप तैयार करता है।
- **तृतीय चरण**- इस चरण में योजना के प्रारूप को राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसकी स्वीकृति के बाद प्रारूप को सार्वजनिक विचार-विमर्श हेतु प्रख्यापित कर दिया जाता है। इस चरण में अन्त में इस प्रारूप पर परामर्शदात्री समिति तथा पूरी संसद द्वारा विचार किया जाता है।
- **चतुर्थ चरण**- इस चरण में योजना आयोग केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों से उनकी योजना के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श करता है। साथ ही निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाता है। इसके बाद योजना की विशेषताएँ, मुद्दे, प्राथमिकताएँ आदि रेखांकित करते हुए योजना आयोग एक प्रपत्र तैयार करता है जो पहले राष्ट्रीय विकास परिषद तथा बाद में संसद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।
- **पंचम चरण**- पाँचवें चरण में तैयार प्रपत्र के आधार पर योजना आयोग द्वारा योजना का अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया जाता है जिसे केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को उनके विचार जानने हेतु भेजा जाता है। बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद से इसका अनुमोदन कराकर संसद द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती है।

पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वरूप निर्धारित हो जाने के बाद इसके सुगम कार्यान्वयन तथा संसाधनों के आवंटन हेतु इसे वार्षिक योजनाओं में विभाजित किया जाता है। योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। योजना का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा इस कार्य में लगी अन्य एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र स्तर पर योजना आयोग द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजनाओं के लिए निर्धारित परिव्यय में से केंद्र और राज्यों की योजनाओं के लिए सामान्यतया क्रमश: 60:40 के अनुपात में धनराशि का आवंटन किया जाता है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पिछले कुछ दशकों में योजना आयोग ने बाजारवादी सुधारों के नए दौर में अपनी भूमिका को नए रूप के अनुसार ढाला है। यह निर्विवाद सत्य है कि यह संस्था उच्च अधिकार प्राप्त निकाय है और प्रबुद्ध जन इसकी ओर बड़ी आशाभरी निगाहों से देखते हैं तथा इसके आलोचक इसे सुपर कैबिनेट तक का दर्जा देने से भी हिचक नहीं करते। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि स्वयं भारत के प्रधानमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं।

यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि आर्थिक सुधारों के दौर में भी योजना आयोग ने देश के नीति निर्माण क्षेत्र में अपनी भूमिका की प्रमुखता भली-भाँति बनाए रखी है। इसकी वर्तमान भूमिका की व्याख्या करते हुए योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक सिंह आहलूवालिया का एक वक्तव्य जो विशेष रूप से योजना आयोग की वर्तमान भूमिका की कम शब्दों में भली-भाँति व्याख्या करने में सक्षम है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है- 'इस समय दो भूमिकाएँ हैं जो अब और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। एक भूमिका 'नीति' की है। आप को हर समय नीतियों का अवलोकन करना पड़ता है और उनमें जरूरी बातों का समावेश करते रहना होता है। आयोग की दूसरी भूमिका है- दीर्घकाल में आने वाली चुनौतियों के समाधान की नीति बनाना।'

इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि देश के विकास की दीर्घकालिक नीतियों के निर्धारण तथा वर्तमान प्रक्रियाओं की समीक्षा करने में योजना आयोग की विशिष्ट भूमिका आज भी पूरी तरह विद्यमान है और इस सम्भावना

से आज कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि आने वाले समय में उसकी यह भूमिका कमतर नहीं हो पाएगी। हाँ, जरूरी यह है कि समय-समय पर आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप अपने कार्यकलापों और नीतियों में भी उत्पन्न होने वाली विकास संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में आयोग को स्वयं भी तदनुसार परिवर्तित करने के लिए तत्पर रहना होगा ताकि भविष्य में भी इसकी महत्ता प्रभावित न हो सके।

प्रश्न-5. विगत 40 वर्षों में इसरो की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रहीं ?

उत्तर-5. भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सम्पन्न करने वाली संस्था का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जिसे संक्षिप्त में इसरो (इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन) कहा जाता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त, 1969 को परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत की गई थी। 1 जून, 1972 को स्पेस कमीशन और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अन्तर्गत लाया गया। 15 अगस्त, 2009 को इसरो की स्थापना के 40 वर्ष पूरे हुए तथा इतने लंबे अंतराल में इसरो ने भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, अंतरिक्ष तकनीकों को देश के अन्दर विकसित करके उन्हें राष्ट्रीय कल्याणकारी कार्यों में उपयोग किया।

प्रायोगिक चरण में इसरो ने अनेक महत्वपूर्ण परीक्षण कार्य और परियोजनाएँ प्रारंभ की और उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन परीक्षण (साइट) और उपग्रह दूरसंचार परीक्षण (स्टेप), सुदूर संवेदन उपयोग परियोजनाएँ और कुछ प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी और एप्पल प्रमोचित किए। इनके कुछ विवरण निम्न हैं-

- **साईट**- उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन परीक्षण (साईट) एक जनसंचार (मास कम्युनिकेशन) परीक्षण था जिसके अन्तर्गत भारत के 6 राज्यों के 2500 गाँवों में अमेरिकी उपग्रह ए टी एस-6 को प्रयोग करके शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, शिक्षक प्रशिक्षण विषयों पर ग्रामीणों को टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक बनाया गया और प्रशिक्षित किया गया। यह परीक्षण 1 अगस्त 1975 से 31 जुलाई, 1976 के बीच संपन्न किया गया तथा ऐसा अनुमान है कि इतना विशाल जन संचार परीक्षण विश्व में पहली बार साइट के रूप में किया गया।
- **आर्यभट्ट**-भारत का प्रथम उपग्रह जिसका नामकरण प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर किया गया। इसका प्रमोचन 19 अप्रैल, 1975 को रूस के प्रमोचन स्थल कपुस्टिनयार से किया गया। इस उपग्रह का निर्माण एक्स-किरण खगोलिकी, वायुगतिकी और सौर भौतिकी पर परीक्षण करने के लिए किया गया था।
- **एप्पल (एरियन पैसेन्जर पेलोड एक्सपेरीमेंट)**- 'एप्पल' भारत में निर्मित प्रथम संचार उपग्रह था। यह वास्तव में प्रायोगिक संचार उपग्रह था जिसमें केवल सी-बैन्ड ट्रांसपोन्डर थे। जिसका प्रमोचन 19 जून, 1981 को यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था के एरियन राकेट के द्वारा किया गया। एप्पल उग्रह का उपयोग अनेक संचार परीक्षणों के लिए किया गया जैसे टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रेषण और रेडियो नेटवर्किंग।
- **भास्कर उपग्रह**- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत दो उपग्रह भास्कर-1 और भास्कर-2 का निर्माण भारत के प्रथम निम्न भू कक्षा प्रेक्षण उपग्रहों के रूप में किया गया। इन उपग्रहों का प्रमोचन क्रमशः 7 जून, 1979 तथा 20 नवंबर, 1981 को किया गया। दोनों उपग्रहों ने दूरमिति, समुद्र विज्ञान और जल विज्ञान से संबंधित विभिन्न आंकड़े इकट्ठे किए।
- **रोहिणी उपग्रह**- रोहिणी एक उपग्रह श्रृंखला का नाम है जिसका प्रमोचन इसरो द्वारा किया गया। इसका उपयोग (प्रथम का) इसरो के प्रथम प्रमोचन यान एस एल वी-3 के निष्पादन का मापन करना था तथा द्वितीय और तृतीय रोहिणी उपग्रहों में लैंड मार्क संवेदक नीतभार लगाए गए थे।
- **इन्सैट तंत्र**- इन्सैट तंत्र की स्थापना 1983 में इन्सैट-1 बी उपग्रह को प्रचालित करने के बाद की गई। इन्सैट तंत्र अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, मौसम विभाग तथा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की संयुक्त परियोजना है। इन्सैट तंत्र के प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी अंतरिक्ष विभाग की है। इन्सैट श्रृंखला के 21 उपग्रह प्रमोचित किए गए जिनमें से वर्तमान में 11 उपग्रह प्रचालित हैं। भारत का इन्सैट तंत्र विश्व के विशाल घरेलू उपग्रह संचार तंत्रों में से एक है।
- **कल्पना-1**- कल्पना-1 भारत का प्रथम मौसम विज्ञान के लिए पूर्णरूपेण समर्पित मौसमी उपग्रह है जिसका प्रमोचन 12 सितंबर, 2007 को किया गया। इन्सैट-2 डी टी अरब देशों का अरबसैट-1 सी उपग्रह था जिसे नवम्बर 1997 में लीज पर लिया गया था तथा इन्सैट पद्धति के अनुसार इन्सैट-2 डी टी नाम रखा

गया था।

- आज भारत ने ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान (पीएसएलवी) के द्वारा सुदूर संवेदन उपग्रहों के प्रमोचन में महारत हासिल कर ली है। भारत का पीएसएलवी प्रमोचन यान काफी सफल प्रमोचन राकेट सिद्ध हुआ है। पीएसएलवी की अब तक 13 सफल उड़ानें संपन्न हो चुकी हैं तथा इसकी हालिया महत्वपूर्ण उड़ान थी 22 अक्टूबर, 2008 को, जब इसने भारत के प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान-1 का सफलतापूर्वक प्रमोचन किया।
- भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन यान (जीएसएलवी) का विकास उपग्रहों को भू-तुल्यकाली कक्षा में प्रमोचन के लिए किया गया है। इसमें पीएसएलवी प्रमोचन यान की ठोस और द्रव स्टेजों का प्रयोग किया गया है तथा उसके अलावा एक उपरि-क्रायोजेनिक स्टेज का प्रयोग भी किया गया है। इस तरह जीएसएलवी एक तीन स्टेज वाला प्रमोचन यान है।
- **अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी परीक्षण (एस आर ई-1)**- यह एक भारतीय प्रायोगिक कैप्सूल था जिसका प्रमोचन पीएसएलवी सी-7 उड़ान द्वारा किया गया। इसका प्रमोचन 10 जनवरी, 2007 को किया गया तथा अंतरिक्ष में लगभग 12 दिन रहने के बाद 22 जनवरी, 2007 को इसे इसरो के श्रीहरिकोटा प्रमोचन स्थल से 140 किमी. दूर बंगाल की खाड़ी से रिकवर किया गया।
- **एक साथ 10 उपग्रहों का प्रमोचन**-28 अप्रैल, 2008 को इसरो ने एक अन्य गौरवशाली इतिहास की रचना की जब पीएसएलवी सी-9 उड़ान द्वारा इसरो के प्रमोचन स्थल श्रीहरिकोटा से एक साथ 10 उपग्रहों- भारत का उच्चस्तरीय सुदूर संवेदन उपग्रह कार्टोसैट-2 ए , 83 किग्रा. का भारतीय मिनी उपग्रह (आईएमएस-1) तथा 5 से 20 किग्रा. वाले 8 विदेशी नैनो उपग्रहों का सफल प्रमोचन किया गया। यह पहला अवसर था जब इसरो ने एक साथ 10 उपग्रहों का प्रमोचन किया।

  विगत 40 वर्षों में इसरो ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है।
- **इसरो की प्रमुख उपलब्धियाँ : एक नजर में**
- 1972-76 में एयर बोर्न सुदूर संवेदन परीक्षण संपन्न।
- 19 अप्रैल, 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह 'आर्यभट्ट' प्रमोचित।
- 1975-76 में उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन परीक्षण (साईट) संपन्न।
- 1977 में उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना (स्टेप) संपन्न
- 10 अगस्त, 1979 को भारतीय प्रमोचन यान एसएलवी-3 की प्रथम प्रायोगिक उड़ान। रोहिणी-1 उपग्रह कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका।
- 7 जून, 1979 को भारत का प्रथम भू प्रेक्षण उपग्रह भास्कर-1 प्रमोचित।
- 18 जुलाई, 1980 को एसएलवी-3 की दूसरी प्रायोगिक उड़ान। रोहिणी-2 उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित।
- 20 नवंबर, 1981 को भास्कर-11 प्रमोचित, 19 जून, 1981 को भारत का प्रथम भूस्थिर संचार उपग्रह एप्पल प्रमोचित, एसएलवी-3 की प्रथम विकासशील उड़ान और उपग्रह (आरएसडी 1) 31 मई, 1981 को कक्षा में स्थापित।
- 10 अप्रैल, 1982 को इन्सैट-1ए प्रमोचित।
- 30 अगस्त,1983 को इन्सैट-1 बी प्रमोचित,17 अप्रैल,1983 को एसएलवी-3 की दूसरी विकासशील सफल उड़ान। उपग्रह कक्षा में स्थापित।
- अप्रैल,1984 में भारत-सोवियत संयुक्त मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन सम्पन्न। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने।
- 12 जून,1990 को इन्सैट-1 डी प्रमोचित।
- 29 अगस्त,1991 को द्वितीय आपरेशनल सुदूर संवेदन उपग्रह प्रमोचित।
- 10 जुलाई,1992 को प्रथम स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी के उपग्रह इन्सैट-2 ए का प्रमोचन,20 मई, 1992 को एएसएलवी की तीसरी विकासशील उड़ान सम्पन्न और श्रास-1 उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित ।

- 20 सितंबर, 1993 को पीएसएलवी की प्रथम विकासशील उड़ान। आईआरएस-1 ई उपग्रह कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। 23 जुलाई, 1993 को इन्सैट 2-बी प्रमोचित।
- 15 अक्टूबर,1994 को पीएसएलवी की दूसरी विकासशील उड़ान, आईआरएसपी- 2 कक्षा में स्थापित। 4 मई,1994 को एएसएलवी की चौथी विकासशील उड़ान। श्रस-2 उपग्रह कक्षा में स्थापित,
- तृतीय आपरेशनल भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आईआरएस-1सी)28 दिसंबर,1995 को प्रमोचित, 7 दिसंबर, 1995 को इन्सैट-2सी प्रमोचित।
- 21 मार्च,1996 को पीएसएलवी की तीसरी विकासशील उड़ान संपन्न, उपग्रह आईआरएसपी-3 कक्षा में स्थापित।
- 4 जून, 1997 को इन्सैट 2 डी प्रमोचित, 4 अक्टूबर, 1997 को यह उपग्रह अप्रचालनीय घोषित, नवंबर, 1997 में भारत ने अरबसैट-1 सी उपग्रह लीज पर लिया तथा इसे इन्सैट-2 डीटी संबोधन दिया, 29 सितंबर, 1997 को पीएसएलवी का प्रथम आपरेशनल प्रमोचन। आईआरएस-1 डी उपग्रह कक्षा में स्थापित।
- जनवरी,1998 में इन्सैट-2 डीटी इन्सैट तंत्र के साथ प्रचालित।
- 26 मई,1999 को पीएसएलवी-सी2 उड़ान द्वारा आईआरएसपी-4 (ओसेनसैट), कोरियाई उपग्रह किटसैट-3, जर्मन उपग्रह डीएलआर टबसैट प्रमोचित । 3 अप्रैल, 1999- को इन्सैट-2 ई प्रमोचित।
- 22 मार्च,2000 को इन्सैट-3बी प्रमोचित।
- 22 अक्टूबर,2001 को पीएसएलवी-सी3 उड़ान के द्वारा 3 उपग्रहों-टीईएस, जर्मनी के उपग्रह बर्ड और बेल्जियम उपग्रह प्रोबा का प्रमोचन। 18 अप्रैल,2001 को जीएलएसवी प्रमोचन यान की प्रथम विकासशील उड़ान। जीएसएलवीडी द्वारा जीसैट-1 उपग्रह का प्रमोचन।
- पीएसएलवी-सी4 उड़ान द्वारा कल्पना-1 उपग्रह 12 सितंबर, 2002 को प्रमोचन। 24 जनवरी,2002 को इन्सैट-3 सी का प्रमोचन।
- 1. पीएसएलवी-सी5 उड़ान द्वारा रिसोर्ससैट-1 का 17 अक्टूबर, 2003 को प्रमोचन, 28 सितंबर,2003 को इन्सैट-3 ई का प्रमोचन, 8 मई,2003 को जीएसएलवी-डी 2 उड़ान द्वारा जीसैट-2 का प्रमोचन। 10 अप्रैल,2003 को इन्सैट-3ए का प्रमोचन।
- जीएसएलवी की प्रथम आपरेशनल उड़ान जीएसएलवी एफ ओ 1 द्वारा एजुसैट उपग्रह 20 सितंबर, 2004 को प्रमोचित।
- 5 मई, 2005 को पीएसएलवी-सी6 उड़ान द्वारा कार्टोसैट-1 और हैमसैट उपग्रह प्रमोचित। 22 दिसंबर, 2005 को इन्सैट-4 ए का प्रमोचन।
- वर्ष 2007 में जीएसएलवीएफओ 4 उड़ान द्वारा इन्सैट-4 सीआर उपग्रह प्रमोचित (2 सितंबर), पीएस एलवीसी-8 उड़ान द्वारा इटली का एजाइल उपग्रह प्रमोचित (23 अप्रैल),12 मार्च को इन्सैट-4 बी का प्रमोचन, अंतरिक्ष कैप्सूल (एस आर ई-1) की सफल रिकवरी (22 जनवरी), पीएसएलवी-सी7 उड़ान द्वारा कार्टोसैट-2 उपग्रह, एसआर ई-1 कैप्सूल, लपान-टबसेट उपग्रह (इंडोनेशिया), पेहुनसेट-1 (अर्जेन्टाइना) का प्रमोचन (10 जनवरी)।
- वर्ष 2008 में पीएसएलवी-सी 10 उड़ान द्वारा टेकसार उपग्रह का प्रमोचन (21 जनवरी), पीएसएलवी-सी9 उड़ान द्वारा कार्टोसैट-2 ए, आईएमएस-1 और 8 विदेशी उपग्रहों का प्रमोचन (28 अप्रैल), 22 अक्टूबर को चंद्रयान-1 का पीएसएलवीसी- 11 उड़ान से प्रमोचन।
- वर्ष 2009 में पीएसएलवी-सी 12 उड़ान से रिसैट-2 और अनुसैट प्रमोचित (20 अप्रैल)।

प्रश्न-6. सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं ? सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाना उपयुक्त होंगे ?

उत्तर-6. देश के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को वर्ष 2010 तक प्रत्येक दशा में कक्षा 1 से 8 तक की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 के बजट में सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की घोषणा की गई। माह नवंबर 2000 से इसे लागू भी कर दिया गया। इस अभियान को बल प्रदान करने के रूप में प्राथमिक शिक्षा को बच्चों के मौलिक अधिकार में सम्मिलित किए जाने हेतु बहुप्रतीक्षित 93वें संविधान संशोधन को वर्ष 2002-03 में राष्ट्रपति की अनुमति भी प्राप्त हो गई।

सर्वशिक्षा अभियान की 10 वर्षीय महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा

98,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि की व्यवस्था की गई और यथा आवश्यक राज्य सरकारों को समुचित धनराशि उपलब्ध भी कराई जाती रही है। केंद्र सरकार द्वारा समस्त राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर बड़े जोर-शोर से इस अभियान को लागू भी किया गया। इस महत्वपूर्ण अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता के साथ-साथ उसके उपयोगी होने तथा उपयुक्त गुणवत्तायुक्त होने पर भी पूरा-पूरा ध्यान देने पर जोर दिए जाने का लक्ष्य है। इस प्रकार वर्ष 2010 तक निर्धारित आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था किए जाने हेतु इस अभियान के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों की समुचित भागीदारी से देश के 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क, संतोषजनक, गुणवत्तापरक, समयबद्ध तथा समेकित प्रयास करने पर विशेष बल देने हेतु देश भर में सर्वशिक्षा अभियान को संचालित किया गया है।

देश में सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था किए जाने हेतु सरकार द्वारा पूर्व में यों तो अनौपचारिक शिक्षा योजना (1979), ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (1987), बेसिक शिक्षा परियोजना (1993), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994), मध्याह्न भोजन योजना (1995), शिक्षा गारंटी योजना (1999) जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए गए हैं और इनका कई क्षेत्रों में कुछ अनुकूल प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुआ है। सर्वशिक्षा अभियान को अन्य सभी योजनाओं से अधिक कारगर माना जा रहा है। सर्वशिक्षा अभियान से कई प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति की संभावनाएँ व्यक्त की गई है। संक्षेप में सर्वशिक्षा अभियान के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं-

- देश के 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वर्ष 2010 तक समुचित व्यवस्था करना।
- वर्ष 2010 की समाप्ति तक इन सभी बच्चों को उपयोगी एवं समुचित गुणवत्ता और संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करना।
- वर्ष 2010 तक प्रत्येक दशा में बालक और बालिकाओं में शैक्षिक असामानता और सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करना।
- सभी 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रत्येक दशा में कक्षा 1 से 5 तक की पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा वर्ष 2007 तक प्रदान करना।
- 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को 8 वर्ष तक की उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करना।
- प्रारंभिक स्तर पर सभी बच्चों हेतु जीवनोपयोगी और समाजोपयोगी समुचित गुण स्तर की शिक्षा व्यवस्था की जाना।
- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक की (कक्षा 8 तक की) शिक्षा पूर्ण करने तक प्रत्येक दशा में सभी ऐसे बच्चों को विद्यालय में अध्ययनरत रखना।
- प्राथमिक शिक्षा के मौजूदा ढाँचे का समुचित प्रकार से उपयोग करते हुए इस अभियान के माध्यम से शिक्षा संबंधी सभी प्रयासों को एक सूत्र में बाँधते हुए इसे अधिक क्रियाशील बनाना।

उल्लेखनीय है कि सर्वशिक्षा अभियान के समुचित क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों के सुपुर्द की गई है,लेकिन खासतौर से उत्तरप्रदेश, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, गोआ ,मध्यप्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में राज्य सरकारों का इस योजना के क्रियान्वयन के प्रति रवैया संतोषजनक नहीं रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार देशभर में स्कूल न जाने वाले बच्चों में से बिहार में 46 लाख, उत्तरप्रदेश में 40 लाख, पश्चिम बंगाल में 30 लाख, उड़ीसा में 20 लाख, असम में 13 लाख, झारखंड में 10 लाख, मध्यप्रदेश में 7 लाख और राजस्थान में 8 लाख बच्चे अभी भी स्कूलों से दूर हैं। सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की अभी तक की प्रगति पर नजर डालने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस महत्वाकांक्षी अभियान का प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का चिर प्रतीक्षित लक्ष्य इस बार भी निर्धारित समय-सीमा अर्थात वर्ष 2010 तक पूरा किया जाना संभव नहीं हो पाएगा।

पूर्व के भी सभी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम अथवा अन्य विकास की योजनाएँ और कार्यक्रम क्रियान्वित हुए हैं या हो रहे हैं, उनके अनुभव हमें इस महत्वपूर्ण अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु कुछ अतिरिक्त

प्रयास करने और कुछ विशेष व्यवस्थाएँ निर्धारित करने के लिए आमंत्रित करते प्रतीत हो रहे हैं। इस हेतु निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जाना समीचीन लगता है-

- सर्वशिक्षा अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है कि जिस उत्साह और भावना के साथ इस अभियान के प्रारंभ करने की सरकार द्वारा घोषणाएँ की जाती रही हैं, इसे पूरा होने तक उसी रूप में बनाए रखा जाए। इसके लिए इस अभियान के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरी तरह बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि राजनीतिक प्रतिबद्धता को बनाया रखा जाए तो इस अभियान की सफलता की आशाएँ की जा सकती हैं।
- अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु दूसरे स्तर पर प्रशासनिक प्रतिबद्धता होना भी आवश्यक है। प्रशासनिक प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का इस अभियान के प्रति भावनात्मक लगाव पैदा करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए, क्योंकि इसके बिना सफलता मिलना संदेहास्पद रहेगा।
- सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को कानूनी रूप से अनिवार्य घोषित करने हेतु 39वाँ संविधान संशोधन पास अवश्य हो गया है, लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था भी निर्धारित की जानी चाहिए जिसमें निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी अभिभावकों की रहे तथा अनुपालन न करने पर कठोर कार्यवाही किए जाने का प्रावधान किया जाए। अन्यथा किन्हीं न किन्हीं निहित कारणों से सभी बच्चे स्कूल नहीं जा पाएँगे और सर्वशिक्षा अभियान की सफलता प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी।
- सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति प्राथमिकता के तौर पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। हमेशा से इस बात को सरकार स्वीकार करती रही है कि विद्यालयों में शिक्षकों की भयंकर कमी है उसे शीघ्र दूर करने की घोषणाएँ भी की जाती रही हैं,लेकिन यथार्थ यह है कि यह कमी पूरा करना कभी भी संभव नहीं हो पाया है। अत: इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षकों से इस अभियान में भरपूर सहयोग करने के लिए पर्याप्त अभिप्रेरणा के साथ-साथ कठोरतापूर्वक दायित्वों के निर्वहन के लिए विवश किए जाने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ भी निर्धारित की जानी चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा को व्यावहारिक, रोचक और उपयोगी बनाने हेतु अतिशीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएँ अर्थात रोचक, व्यावहारिक और उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्धारण, रुचिपूर्ण पुस्तकें और पाठ्य विधियों का प्रयोग करने के लिए प्रयास किए जाएँ ताकि इसकी ग्राह्यता में अभिवृद्धि हो सके। उल्लेखनीय है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अभी तक इस अभियान के अंतर्गत उठाए गए कदमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा समुचित नहीं माना गया है।
- वित्तीय संसाधनों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए यह भी आवश्यक नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा को पूरी तरह नि:शुल्क रखा जाए, ऐसे लोग जो इसका खर्च वहन करने में सक्षम हैं, उनके लिए सशुल्क लेकिन समुचित गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, गरीब और साधन विहीन लोगों के लिए इसे नि:शुल्क रखने के साथ-साथ इन्हें स्टेशनरी, यूनीफार्म तथा छात्रवृत्ति आदि की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों का भी शिक्षा के प्रति पर्याप्त लगाव विकसित हो सके।
- अभियान की सफलता हेतु हर स्तर से इसका समुचित प्रचार-प्रसार भी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस अभियान के नियोजन और कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक चरण में चुनी हुई त्रिस्तरीय पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, नागरिक संगठनों आदि की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जो केवल कागजों और फाइलों में लिखा-पढ़ी और औपचारिकता मात्र न रहे, बल्कि व्यवहार में उसकी परिणति होनी चाहिए।

उपर्युक्त सुझावों पर अमल किए जाने से निश्चित रूप से सर्वशिक्षा अभियान की सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस संबंध में यह भी विचारणीय है कि इन सभी सुझावों पर एक साथ और एक समय में अमल किया जाना व्यावहारिक दृष्टि से संभव भले ही न हो, लेकिन एक सुनियोजित, सुविचारित और सुनिश्चित योजना के अंतर्गत अमल में लाए जाने वाले बिन्दुओं और कदमों हेतु एक व्यावहारिक कार्य योजना तैयार कर उसे पूरी निष्ठा, तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रश्न-7. असहयोग आंदोलन क्या था ? असफलता के बावजूद असहयोग आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान क्यों है ?

उत्तर-7. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का तीसरा चरण जिसे गाँधीवादी युग भी कहा जाता है, की शुरुआत असहयोग आंदोलन से होती है। वस्तुत: असहयोग आंदोलन (1920-1922) गाँधीजी की दिमागी उपज थी जो उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के दमन के खिलाफ हिन्दू-मुस्लिम एकता, छूआछूत निवारण, स्वदेशी प्रचार और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने के लिए किया था, क्योंकि काफी समय से भारतीयों ने ब्रिटिश नीति का आंदोलनात्मक विरोध नहीं किया था। परिस्थितियाँ भी आंदोलन के अनुरूप थीं तथा कारण खुद-ब-खुद उभरते जा रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों की तन,मन,धन से मदद की तथा इसकी प्रशंसा लॉर्ड जॉर्ज (ब्रिटिश प्रधानमंत्री) तक ने की और गाँधीजी को कैसर-ए-हिन्द का सम्मान दिया, लेकिन युद्ध के बाद स्वशासन के नाम पर रॉलेट एक्ट का काला कानून, भ्रष्ट माण्टफोर्ड सुधार और पंजाब में अत्याचारी कानून इनाम में मिला। सरकार की इस नीति से गाँधीजी सहयोगी से असहयोगी बन गए तथा उन्होंने तिलक की मृत्यु के उपरांत भारत का नेतृत्व संभालकर असहयोग आंदोलन की घोषणा की।

असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण रॉलेट एक्ट था। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की जाँच के लिए 1918 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बना यह काला कानून किसी अत्याचार से कम नहीं था, जिसके तहत भारतीयों को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। इसमें अपील-वकील और दलील की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरी ओर ब्रिटिश प्रशासनिक नीति से भी भारतीय असंतुष्ट थे। 1919 के मॉण्टफोर्ड सुधार के द्वारा केंद्र में अनुत्तरदायी सरकार तथा राज्य में द्वैध शासन की स्थापना की गई जिसे कांग्रेस ने अपर्याप्त, असंतोषजनक तथा निराशाजनक कहा।

इसी समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ जिसमें तुर्की की पराजय के बाद वहाँ खिलाफत प्रथा का अंत कर दिया गया जिसका विश्व के अन्य मुसलमानों के साथ भारतीय मुसलमानों ने भी व्यापक विरोध किया तथा अलीबंधु के नेतृत्व में 17 अक्टूबर, 1919 को खिलाफत दिवस मनाकर खिलाफत आंदोलन की घोषणा की गई। जिसका समर्थन गाँधीजी ने भी किया। क्योंकि गाँधीजी हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। बाद में गाँधीजी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व संभाला तथा हिन्दू-मुसलमानों को एक मंच पर लाए, ताकि ब्रिटिश सरकार का प्रबल विरोध किया जा सके। वस्तुत: यही वह बुनियाद थी जिस पर असहयोग आंदोलन की नींव टिक सकी।

इसी प्रकार का विरोध पंजाब में नए भूबंदी कानून का डॉ. सत्यपाल तथा किचलू के नेतृत्व में किया गया। दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पंजाबी जनता काफी उग्र हो गई, क्योंकि दोनों को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। फलत: पंजाबी जनता ने 13 अप्रैल, 1919 को अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। प्रारंभ में इस सभा को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन सभा के दौरान जनरल डॉयर ने निहत्थी जनता पर अंधाधुंध गोलियाँ चलवाकर 1000 से अधिक लोगों को मार डाला। इस घटना से सारा देश गुस्से से उबल पड़ा तथा जनता आंदोलन पर उतारू हो गई। फलत: गाँधीजी ने कुछ कांग्रेसी नेताओं के विचारों के विरुद्ध आंदोलन के लिए जनमत तैयार करना प्रारंभ किया। सितंबर, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया, प्रारंभ में एनी बेसेंट, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं ने गाँधीजी का विरोध किया लेकिन दिसंबर, 1920 के नागपुर अधिवेशन में भारी मतों से इस प्रस्ताव को पास किया गया। सी.आर.दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा अली बंधुओं ने गाँधीजी का समर्थन किया। इस प्रकार नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा सरकार के विरुद्ध पहली बार क्रांतिकारी कदम उठाए गए।

असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव की मुख्य बातें इस प्रकार थीं-

- सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार।
- वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार।
- सरकारी उपाधि एवं अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए।
- सरकार द्वारा प्रायोजित सरकारी व अर्द्धसरकारी का बहिष्कार।
- स्थानीय संस्थानों की सरकारी नौकरी से इस्तीफा।
- असैनिक श्रमिक व कर्मचारी मेसोपोटामिया जाने से इनकार करें।
- विदेशी सामनों का पूर्णत: बहिष्कार किया जाए।

असहयोग आंदोलन की सफलता के लिए गाँधीजी ने निम्नलिखित रचनात्मक कार्यों पर बल दिया।

- शराब का बहिष्कार।
- हिन्दू-मुस्लिम एकता एवं अहिंसा पर बल।
- छूआछूत से परहेज।
- स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग।
- कांग्रेस के झंडे तले समस्त राष्ट्र को एक करना।
- कड़े कानूनों की सविनय अवज्ञा करना ।
- कर न देना आदि।

असहयोग आंदोलन काफी लोकप्रिय हुआ। सर्वप्रथम गाँधीजी ने कैसरे हिन्द, जुलू वार मेडल तथा बोअर युद्ध पदक का त्याग किया। अन्य लोगों ने भी सरकारी पदों का बहिष्कार किया। अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों तथा कॉलेजों की स्थापना की गई। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया तथा नेशनल कॉलेजों की स्थापना की गई। सैकड़ों वकीलों ने वकालत छोड़ी तथा केसों का फैसला पंचायतों में होने लगा। स्टाम्प बिक्री में कमी से सरकारी आय ठप पड़ गई। नवंबर 1920 के नई व्यवस्थापिका के चुनाव का भी व्यापक विरोध किया गया। विरोध तथा आंदोलन की प्रारंभिक सफलता को देखकर गाँधीजी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने की घोषणा की। आंदोलन में देशी भावना का भी व्यापक ख्याल रखा गया। खादी का प्रयोग काफी फैला, शराबबंदी के लिए भी आंदोलन हुए। सरकारी तथा विदेशी वस्त्रों की पूरे देश में होली जलाई गई।

देश में 40 लाख स्वयंसेवक तैयार हुए तथा तिलक स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपया जमा हो गए। सारे देश में उत्साह की नई लहर दौड़ गई। औरतों ने भी परदे से बाहर आकर बहुत बड़ी संख्या में संघर्ष में हिस्सा लिया। उन्होंने तिलक कोष में अपने गहने एवं मंगलसूत्र तक दे दिए तथा हँसते हुए जेल भी चली गईं।

आंदोलन की विभीषिका को देखकर सरकार ने भी इसे पूरी शक्ति के साथ कुचलना प्रारंभ किया। कांस्टेबलों को मारो तथा लूटो की छूट दी गई। गिरफ्तारी, घर की खोजबीन तथा पुलिस छापा आदि आम बात थी। देशभर के जेल आंदोलनकारियों से भर गए। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कलकत्ता में आतंक छा गया। मोतीलाल नेहरू, सी.आर.दास, लाला लाजपत राय आदि सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। फिर भी आंदोलन की व्यापकता कायम रही। फलतः ब्रिटिश सरकार ने मदनमोहन मालवीय तथा पी.एल. राय को समझौता कराने हेतु गाँधीजी के पास भेजा, लेकिन गाँधीजी की शर्तों ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर दिया। फलतः सरकारी दमनचक्र और तेज हो गया। मार्च,1921 में ननकाना (पंजाब) के गुरुद्वारों पर पुलिस गोलाबारी में 70 लोग मारे गए। पूरे देश में करीब 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

1 फरवरी, 1922 को महात्मा गाँधी ने वाइसराय को पत्र लिखकर सरकारी दमन नीति की आलोचना की तथा चेतावनी दी कि यदि सरकारी नीतियों में परिवर्तन नहीं आया तो वे 7 दिन के अंदर बारदोली से पुनः आंदोलन प्रारंभ करेंगे,लेकिन इसी बीच 5 फरवरी, 1922 को देवरिया जिले के चौरी-चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। फलतः जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी जिससे एक थानेदार व इक्कीस सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गाँधीजी स्तब्ध रह गए। उन्हें काफी दुःख हुआ। अन्य स्थानों पर भी दंगे भड़क उठे। गाँधीजी की स्थिति उस जादूगर के समान हो गई जो भूत को जगा तो देता है, लेकिन काबू नहीं रखा पाता है। अंततः उन्होंने 12 फरवरी, 1922 को बारदोली से ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।

आंदोलन के स्थगन से जनता काफी क्षुब्ध हो गई। गाँधीजी की काफी आलोचना की गई। नेहरू,लाला लाजपत राय, सी.आर. दास, सुभाषचंद्र बोस आदि ने भी गाँधीजी की नीति पर भारी असंतोष व्यक्त किया तथा नेहरू परिवार राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक हो गया।

हालांकि इन नेताओं ने आंदोलन के स्थगन को अनुचित बताया, लेकिन यदि तात्कालीन परिस्थितियों का आकलन किया जाय तो स्पष्टतः यह स्थगन उचित था, क्योंकि-

- सारे नेता जेल में थे जिससे नेतृत्व में कमी हो गई थी।
- अनियंत्रित जनता हिंसक हो गई थी।

- सरकार का दमनचक्र बढ़ता ही जा रहा था।
- लॉर्ड रीडिंग द्वारा सेबरेज की संधि से खलीफा के पक्ष में संशोधन करने से कांग्रेस तथा खिलाफतियों में फूट की आशंका बढ़ गई थी।
- मोपला विद्रोह के साम्प्रदायिक होने से साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा था।

असफलता के बावजूद असहयोग आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्वतंत्रता संग्राम का पहला जन-आंदोलन था जिसने लोगों में स्वतंत्रता तथा देशप्रेम की भावना भर दी। इस आंदोलन ने सर्वप्रथम भारत को राजनीतिक सूत्र में बाँधने का प्रयास किया तथा हिन्दू-मुसलमान एकता को नया आयाम दिया। इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर कुठाराघात किया तथा स्वदेशी की भावना को प्रबलता प्रदान की । हिन्दी का व्यापक विकास भी इसी आंदोलन के तहत हुआ तथा कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन भी इसी दौरान आया।

इस आंदोलन ने दिखा दिया कि हिन्दुस्तान की वह जनता जिसे फिरंगी मूर्ख, दीन-हीन समझते थे, आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीति की वाहक हो सकती है। भारतीय जनता के त्याग और बलिदान ने दमनकारी सत्ता को जता दिया कि देश की आजादी की भूख पढ़े-लिखे को ही नहीं, निरक्षर जनता को भी सताती है। वस्तुत: यह पहला अवसर था जब राष्ट्रीयता ने गाँवों, कस्बों, स्कूलों सबको अपने प्रभाव में लिया। चूँकि यह शुरुआती दौर था अत: कमियाँ तमाम थीं, लेकिन सफलताएँ भी असीमित थीं। जो कुछ भी हासिल हुआ वह आगामी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक हुआ। विश्व इतिहास में यह पहला अवसर था जब नैतिक आदर्शों एवं अहिंसक तरीकों को अपना, एक राष्ट्र ने अपनी मुक्ति का आंदोलन प्रारंभ किया था।

प्रश्न-8. क्या भारत-अमेरिका परमाणु समझौता भारत के लिए लाभप्रद है ?

उत्तर-8. अमेरिका के परमाणु ऊर्जा कानून, 1954 की धारा 123 के तहत अमेरिका ऐसे देशों के साथ परमाणु सहयोग कर सकता है जो परमाणु हथियार न रखते हों, जो परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) और व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर कर चुके हों। भारत, पाकिस्तान और इजराइल ऐसे देश हैं जो एनपीटी और सीटीबीटी के सदस्य नहीं हैं। इस आधार पर भारत अमेरिका के साथ परमाणु समझौते का हकदार नहीं बनता है। परंतु अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य हेनरी जे. हाइड ने एक एक्ट-यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया पीसफुल एटॉमिक एनर्जी को-ऑपरेशन एक्ट 2006 पेश किया। यह एक्ट अमेरिकी कानून में भारत के लिए कुछ छूट मुहैया करवाकर भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग को मुमकिन बनाता है। यह हाइड एक्ट कहलाता है। हाइड एक्ट के बाद अमरीकी कानून की धारा 123 में संशोधन हुआ और यह समझौता 123 समझौता कहलाया। इस समझौते में निम्न बातें सम्मिलित हैं-

- इसमें असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के सभी प्रावधानों और शर्तों का उल्लेख किया गया है।
- 40 वर्षों तक अमेरिका भारत को परमाणु ईंधन, उपकरण और टेक्नॉलोजी की आपूर्ति करवाता रहेगा। बाद में इसे 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
- दोनों देशों में से कोई भी एक उचित कारण बताते हुए एक साल का नोटिस देकर समझौते को समाप्त कर सकता है।

भारत के लिए उपयोगिता

- समझौता लागू हो जाने से भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सकेंगी।
- भारत के कई परमाणु रिएक्टर आवश्यक ईंधन और नई टेक्नॉलोजी की कमी की वजह से बंद पड़े हैं या क्षमता से कम काम कर रहे हैं। ऐसे में इस समझौते से नवीनतम ऊर्जा तकनीक, ईंधन, कलपुर्जे, भट्टियाँ, वैज्ञानिक सहयोग प्राप्त करने के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पारस्परिक समन्वय कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे।
- परमाणु समझौता भारत पर से न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) की वे पाबंदियाँ हटा देगा, जिसकी वजह से भारत को वह टेक्नॉलोजी नहीं मिल पाती, जिसका दोहरा उपयोग हो सकता है। इन्हें नियंत्रित तकनीकी भी कहा जाता है। परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समह की पाबंदियाँ हटते ही, विभिन्न क्षेत्रों की हर वो अत्याधुनिक तकनीक भारत को हासिल होगी जिसकी हमें आवश्यकता है।
- परमाणु समझौते के बाद देश को अत्याधुनिक कंप्रेसर, टेस्टिंग सिस्टम, ऊर्जा उत्पादन, खनन उपकरण, हाई

वोल्टेज पावर सप्लाई उपकरण आदि सभी तकनीकी सुविधाएँ प्राप्त होंगी। इनसे न सिर्फ बिजली उत्पादन और खनन में तेजी आएगी, बल्कि इनसे जुड़े सभी उद्योगों और व्यवसायों की दिशा और दशा बदल जाएगी।

- परमाणु समझौता असैन्य ऊर्जा के लिए है लेकिन इसके माध्यम से समुद्री निगरानी व्यवस्था, सैन्य मौसम विज्ञान, सैटेलाइट व्यवस्था और अन्य सभी क्षेत्रों में हम काफी उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं।
- विभिन्न कंपनियों के व्यवसाय में नए आयाम हासिल करने के अवसर प्राप्त होंगे।
- इस समझौते से परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का रास्ता खुलेगा और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित घरेलू परमाणु कार्यक्रमों को बनाए रखने में पूरी तरह मदद मिलेगी।
- समझौते से जुड़े 123 एग्रीमेंट की धारा 6 और 14 में यह भी प्रावधान है कि यदि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के मद्देनजर परीक्षण करता है तो अमेरिका सकारात्मक रुख अपना सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि भविष्य में चीन या पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करते हैं तो भारत के जवाबी परीक्षण से समझौता प्रभावित नहीं होगा।

नकारात्मक पहलू

- भविष्य में परमाणु परीक्षण न कर पाने से भारत के परमाणु हथियारों के विकास कार्यक्रमों को नुकसान होने की संभावनाएँ हो सकती हैं।
- भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ने की आशंका है।
- भारत पर परोक्ष रूप से एनपीटी (परमाणु अप्रसार संधि) पर हस्ताक्षर करवाने की भी संभावना हो सकती है।
- भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता और तटस्थता की रही है। अमेरिका के साथ इस समझौते के बाद भारत की गुटनिरपेक्षता नीति के औचित्य पर सवाल खड़ा हो सकता है।
- भारत में असैन्य तथा सैन्य दोनों कार्यक्रम एक ही प्रकार के संयंत्र में होते रहे हैं अत: यह नामुमकिन नहीं कि असैन्य संयंत्र जब पूर्ण निगरानी में जाएँगे तो उनमें पहले से चल रहे परमाणु कार्यक्रमों के रहस्य अमेरिका जान ले।
- रिएक्टरों की निगरानी से देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- ईंधन की आपूर्ति तथा करार का बने रहना या समाप्त हो जाना पूरी तरह अमेरिकी कांग्रेस पर निर्भर करेगा। राजनीतिक अस्थिरता की दशा में करार पर घातक चोट पहुँच सकती है।

भारत जैसे विकासशील देश की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा की अधिक से अधिक आवश्यकता है। उसके लिए परमाणु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। परमाणु संधि से भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर आ जाएगा। भारत-अमरीका परमाणु समझौता देश की ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। परमाणु ईंधन निश्चित रूप से भविष्य का ऊर्जा माध्यम होगा। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि ऊर्जा, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ी प्रौद्योगिकी के सतत विकास को आधार बनाया जाए। ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों (कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि) का अब तक इतना विदोहन हो चुका है कि अब इन स्रोतों पर अधिक निर्भर नहीं रहा जा सकता है। ऐसे में परमाणु ऊर्जा को भविष्य का ईंधन बनाने का विकल्प अधिक कारगर साबित हो सकता है। परमाणु करार एक ऐसा तकनीकी मसौदा है जिसकी समझ बहुत ही कम लोगों में है। ऐसे में राजनीतिक दल इसके संदर्भ में जनता को गुमराह कर राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।

भारत के परमाणु आयोग के अध्यक्ष श्री काकोडकर ने इस परमाणु समझौते को देश की आवश्यकता बताया है। देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे महान विद्वान ने इसकी आवश्यकता को सही ठहराया है। इस प्रकार अमेरिका के साथ परमाणु समझौता न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल करने में मदद करेगा। बल्कि भारत के विश्व के समक्ष एक विकसित देश बनने के सपने को भी साकार करेगा।

प्रश्न-9. वैश्वीकरण ने भारत में वर्गहीन समाज का प्रारंभ करने के बजाए एक सुस्पष्ट वर्ग विभाजन उत्पन्न कर दिया है । इस तर्क का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए?

उत्तर-9. भारत में 1991-92 के बाद से अपनाई गई उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण की नीतियों के परिणामस्वरूप एक नवीन सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है। वैश्वीकरण के जरिए जहाँ भारत में विदेशी, पूँजी,

विदेशी प्रौद्योगिकी उत्पादन की अत्याधुनिक तकनीक, संचार की नवीनतम तकनीकों का बड़े पैमाने पर आगमन हुआ, वहीं दूसरी ओर विदेशी शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों तक भारतीयों की पहुँच सुगम हो गई। विदेशी विनिमय प्रतिबंधों के उत्तरोत्तर ढीले होते जाने से विदेशों में शिक्षा प्राप्त करना तथा इलाज कराना, घूमना फिरना अधिक सरल और सुगम हो गया। शेष विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण हो जाने से भारतीय बाजारों में विश्व के सभी ब्रॉण्ड उपलब्ध होने लगे हैं। वैश्वीकरण के साथ उदारीकरण की नीतियों से आर्थिक विकास की गति में तेजी भी आई है, लेकिन आर्थिक विकास का यह स्वरूप समावेशी नहीं रहा है।

उच्च आर्थिक विकास दर के लाभ अपेक्षाओं के अनुरूप समाज के विभिन्न वर्गों तक नहीं पहुँच सके हैं। देश के 6.38 लाख गाँवों में से 27 हजार तक न रेल है और न पक्की सड़क। 22 करोड़ से अधिक लोग निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे हैं। 50 प्रतिशत से अधिक परिवारों के पास स्वयं के स्वच्छ शौचालय नहीं हैं। 77 प्रतिशत से अधिक भारतीय 25 रुपए से भी कम आय पर प्रतिदिन गुजारा करते हैं। 75 हजार विद्यालयों के अपने स्वयं के भवन नहीं हैं। 80 करोड़ लोग आज भी पेयजल के स्वच्छ स्रोतों के लिए तरसते हैं।

स्पष्ट है कि वैश्वीकरण जनित विकास का यह स्वरूप वर्गहीन समाज का सृजन नहीं कर सका है। बल्कि इसने भारतीय समाज को सुस्पष्ट तौर पर 'इंडिया' और 'भारत' में विभाजित कर दिया है। कुल जनसंख्या में 10 प्रतिशत से भी कम लोग इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और आलीशान बंगलों, चमचमाती कारों, तीव्रगति से भागती मोटर साइकिलों, महँगे मोबाइलों, पंच सितारा होटलों से उपजी संस्कृति का उपभोग कर रहे हैं। जबकि 90 प्रतिशत जनसंख्या का संबंध भारत से है जिनमें से अधिसंख्य लोगों के पास बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं हैं। आज की भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तीन वर्गों में बंटी हुई दिखाई देती है।

- **प्रथम वर्ग**- विशाल बंगलों, महँगे-महँगे एपार्टमेन्टों में रहने वाले लोग जो महँगे-से महँगे मोबाइल सैट के साथ कारों में चलते हैं, महँगी शराब पीते हैं।
- **द्वितीय वर्ग**-इस वर्ग में मुख्य रूप से मध्यम वर्ग आता है। इनके घरों में आधुनिक सुख सुविधाएँ हैं। बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं तथा वे मोटर साइकिल-स्कूटर की सवारी करते हैं।
- **तृतीय वर्ग**-समाज का सबसे बड़ा वर्ग यही है जो आज भी पिछड़ी हुई अवस्था में है। इस वर्ग के पास बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है।

इस प्रकार वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में भारतीय समाज सुस्पष्ट तौर पर विभिन्न वर्गों में बँटकर रह गया है। जिसमें एक ओर वे हैं जिनके पास सब कुछ है, तो दूसरी ओर वे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है।

प्रश्न-10. आतंकवाद के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं ? आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों ही मोर्चों पर क्या उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए ?

उत्तर-10. आज लगभग सारा विश्व आतंकवाद की आग में झुलस रहा है। विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश सं.रा. अमेरिका तक आतंकवाद के दंश को झेल चुका है। आतंकवाद के उत्पन्न होने, फैलने तथा बने रहने के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक कारण हैं। वैसे आतंकवाद का मूल राजनीतिक कारणों में अधिक है। जब किसी पराधीन देश के लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करते हैं, तो ऐसे लोग स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं, जबकि सत्तासीन लोग उन्हें आतंकवादियों के रूप में निरूपित करते हैं जैसा कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान भारत के चरमपंथियों ने किया या बांग्लादेश में मुक्तिवाहिनी ने किया। इस प्रकार का आतंकवाद या किसी देश के भीतर किसी क्षेत्र विशेष की स्वतंत्रता की माँग कर रहे लोगों से प्रेरित भी हो सकता है। जैसे कि श्रीलंका में तमिल टाइगर्स द्वारा चलाया जा रहा सशस्त्र संघर्ष या फिर पंजाब में कुछ वर्षों तक चला सिख चरमपंथियों द्वारा चलाया गया आतंकवाद या जम्मू-कश्मीर में चल रहा आतंकवाद या पाकिस्तान की स्वात घाटी तथा अफगानिस्तान की सीमा पर तालिबानियों द्वारा चलाया जा रहा आतंकवाद। जब किसी एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के लोगों को अपनी आतंकवादी गतिविधियों का निशाना बनाते हैं तो यह धार्मिक आतंकवाद कहलाता है।

विगत कुछ वर्षों से मुसलमान कट्टरपंथी सारे विश्व में इस्लाम का परचम लहराने के नाम पर गैर मुसलमान समुदायों पर प्राणघातक हमले कर रहे हैं। जैसे कि सं.रा. अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य विकसित देशों में जगह-जगह पर हुए बम विस्फोटों से पता चलता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही हिन्दूओं तथा मुसलमानों के कतिपय कट्टरवादी संगठन एक-दूसरे के समुदायों को अपना निशाना बनाते रहे हैं। इन समुदायों के नेता

युवाओं को दूसरे समुदायों के विरुद्ध भड़काते हैं तथा उनसे आतंकवादी हमले करवाते हैं। भारत में आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में प्यूपिल्स वार ग्रुप और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश में नक्सलियों द्वारा चलाया जा रहा सशस्त्र संघर्ष मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक कारणों से उपजा है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर राज्यों की आतंकवादी घटनाएँ जातीय समुदाय विद्वेष का परिणाम हैं। इसी प्रकार असम में गैर-असमियों पर हमले, महाराष्ट्र में गैर महाराष्ट्रियों पर हमलों का कारण आर्थिक और सामाजिक दोनों का मिला-जुला स्वरूप है। ऊपरी तौर पर भले ही ऐसा लगता हो कि आतंकवाद स्थानीय कारणों से उपजता है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अधिकांश मामलों में विदेशी सरकारों और उनकी खुफिया एजेंसियाँ सरकारों को अस्थिर करने अथवा गिराने के लिए उन्हीं देशों के दिग्भ्रामित लोगों को आर्थिक और सैन्य सहायता देती है।

इस मामले में सं.रा. अमरीका की खुफिया एजेंसी सी.आई.ए., पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. काफी कुख्यात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में आई.एस.आई. के संरक्षण में सैकड़ों ऐसे प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं जहाँ आतंकवादियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। यही आतंकवादी भारत में हमले करने के लिए भेजे जाते हैं। बांग्लादेश में कार्यरत कई धार्मिक कट्टरपंथी संगठन भारत के पूर्वोत्तर सीमा राज्यों में सक्रिय पृथकतावादियों की सहायता करते हैं। चीन भी इस कार्य में पीछे नहीं है। अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी से कम समय में अकूत सम्पदा अर्जित कर लेने की होड़ भी आतंकवादी गतिविधियों का कारण है। आतंकवाद की ओट में इन पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है तथा धन कमाया जाता है। जहाँ तक आतंकवाद के खतरे से निपटने के उपायों का प्रश्न है तो इसके लिए घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों ही मोर्चों पर संगठित पहल किए जाने की आवश्यकता है।

ऐसा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए-

- समझौता वार्ताओं के द्वारा लेन-देन की साझा सोच विकसित करके सीमा विवादों तथा क्षेत्रीय विवादों का स्थानीय समाधान खोजना (इजरायल-फिलिस्तीन विवाद का हल)।
- किसी देश विशेष में चल रहे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट करने के लिए संबंधित देश की सरकार पर दबाव डालना यदि यह कारगर न हो सके तो संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में सैन्य कार्यवाही करके ऐसे शिविरों को नष्ट करना।
- अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह सहमति पैदा करना कि कोई भी देश किसी अन्य देश की सरकार को अस्थिर करने वाली किसी भी गतिविधि को आर्थिक या सैन्य सहायता नहीं देगा।
- खुफिया तंत्र को मजबूत बनाना तथा खुफिया सूचनाओं को राज्यों के बीच आदान-प्रदान करने के तंत्र को प्रभावी बनाना।
- आतंकवादी गतिविधियों में पकड़े गए आतंकवादियों के मामलों की त्वरित सुनवाई करके उन्हें कठोर दंड देना।
- सीमा पर काँटों की बाढ़ लगाना तथा घुसपैठ को रोकना।

मध्यप्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु नोट्स

मध्यप्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षोपयोगी नोट्स उपलब्ध हैं। **अनिवार्य विषयों** हेतु 1000 रुपए एवं उपलब्ध **ऐच्छिक विषयों- इतिहास, लोक प्रशासन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा मानव शास्त्र** प्रत्येक के लिए 550 रुपए का मनीऑर्डर या बैंक ड्रॉफ्ट (50 रु. डाकखर्च अतिरिक्त) भेजें। ध्यान दें कि प्रतियोगिता निर्देशिका द्वारा नोट्स वी.पी.पी. से नहीं भेजे जाते हैं। नोट्स हेतु कार्यालयीन समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क किया जा सकता है।

प्रतियोगिता निर्देशिका

111, गुमास्ता नगर, इन्दौर - 452009
फोन 2482060, 2480090